



महानिदेशक, लेखापरीक्षा का कार्यालय (केन्द्रीय), कोलकाता
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL), KOLKATA
जि. आई. पी. बिल्डिंग, 8, किरण शंकर राय रोड, कोलकाता – 700001
G. I. P. BUILDING, 8, KIRAN SANKAR ROY ROAD, KOLKATA – 700001



File No.: DGAC/KOL/ITCell/E-Waste

दिनांक: 04/08/2025

निविदा आमंत्रित करने की सूचना

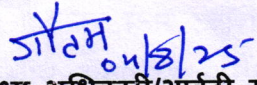
विषय: अप्रचलित/बेकार घोषित ई-अपशिष्ट आईटी मर्दों के निपटान के लिए निविदा

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), कोलकाता का कार्यालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पास पंजीकृत अथवा किसी अन्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पंजीकृत ई-अपशिष्ट के विघटनकर्ताओं से "जैसा है जहां है" आधार पर ई-अपशिष्ट मर्दों (आईटी मर्दों) के निपटान के लिए मुहरबंद बोलियां आमंत्रित करता है। यदि आपकी फर्म उपरोक्त प्रक्रिया के काम में रुचि रखती है, तो आपसे अनुरोध है कि आप निविदा प्रक्रिया में अपनी प्रतिस्पर्धी उच्चतम कीमतों को उद्धृत करें।

निविदा की तारीख और अन्य अनुसूची विवरण इस प्रकार हैं:

आइटम का विवरण	ई-अपशिष्ट बोली (अनुपयोगी/अप्रचलित/बेकार या आथक मरम्मत योग्य (बीईआर) मर्दों से परे आदि "जैसा है जहां है आधार" पर की जाएगी
बोली जमा करने की प्रारंभ तिथि	04/08/2025 10:00 बजे से
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	14/08/2025 17:00 बजे तक
आईटी सामग्री का निरीक्षण	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक 10:00 बजे से 17:00 बजे के दौरान कार्य दिवसों पर
तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय	18/08/2025 12:00 बजे
वित्तीय बोली खोलने की तिथि	18/08/2025 15:00 बजे

और समय	
बोली आरक्षित मूल्य	Rs 1,00,455/-
बोली वैधता अवधि	90 Days
ईएमडी	कोलकाता में देय किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक पर "वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हकदारी), महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), कोलकाता का कार्यालय" के पक्ष में 5,000/- रु. डिमांड ड्राफ्ट नोट: एनएसआईसी/एमएसई के साथ पंजीकृत फर्मों को ईएमडी के भुगतान से छूट दी गई है। वैध प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।
प्रशासनिक उद्देश्य के लिए संपर्क विवरण	श्री गौतम प्रकाश वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (आईटी सेल) संपर्क नंबर: 8981818725 ईमेल: compcell.kol.dgac@cag.gov.in
कार्यालय का पता	महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), कोलकाता का कार्यालय जीआईपी बिल्डिंग (ईस्ट विंग) 8, किरण शंकर रॉय रोड, कोलकाता-700001


 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आईटी सेल

ई-अपशिष्ट वस्तुओं की सूची

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), कोलकाता का कार्यालय, "जैसा है जहां है" आधार पर ई-अपशिष्ट आईटी मदों के निपटान के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार या किसी अन्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत ई-कचरे के पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता/पुनर्प्रोसेसर/संग्रहण केंद्र/अलग करने वाला से निविदा के लिए संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित करता है।

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), कोलकाता का कार्यालय, जीआईपी बिल्डिंग (पूर्व विंग) 8, किरण शंकर राय रोड, कोलकाता, 700001 के कार्यालय में पड़ी डिस्पोजेबल ई-अपशिष्ट वस्तुओं की विस्तृत सूची नीचे दी गई है:

क्र.सं.	वस्तुओं का नाम	मात्रा
1	Laptops	14
2	CPUs	24
3	Monitors	24
4	Scanners	08
5	Printers	03
6	UPS	09
7	Empty Used Printer Cartridges	370

बिक्री की सामान्य शर्तें

1. न्यूनतम पूर्व-योग्यता / पात्रता मानदंड

बोलीदाता (ओं) को निम्नलिखित न्यूनतम पूर्व-अर्हता/पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए:

क्र.सं.	न्यूनतम पात्रता मानदंड	प्रस्तुत किए जाने वाले सहायक दस्तावेज
a.	बोलीदाता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत होगा या उसके पास वैध व्यापार लाइसेंस होना चाहिए।	वैध कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र/निगमन प्रमाणपत्र की प्रति /ट्रेड लाइसेंस।
b.	बोली लगाने वाले के पास वैध पैन कार्ड और जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र होगा।	पैन कार्ड की कॉपी और जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
c.	बोलीदाताओं को किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में वैध बयाना राशि जमा (ईएमडी) प्रस्तुत करनी होती है।	मूल डिमांड ड्राफ्ट
d.	बोलीदाताओं को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पंजीकृत ई-अपशिष्ट का पुनर्चक्रणकर्ता होना चाहिए।	बोलीदाताओं को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा किसी राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करनी चाहिए.
e.	ब्लैकलिस्टिंग/नॉन-ब्लैकलिस्टिंग सर्टिफिकेट की घोषणा	विधिवत भरा हुआ अनुबंध-सी इसके साथ संलग्न है
f.	अतिरिक्त दस्तावेज	विधिवत भरा हुआ अनुबंध- ए, बी और डी

2 निविदा द्वारा डिस्पोजेबल ई-अपशिष्ट वस्तुओं का निरीक्षण:

- ई-अपशिष्ट के रूप में अप्रचलित मर्दों का निपटान "जैसा है जहां है" आधार पर किया जाएगा और इस कार्यालय द्वारा विवरण / गुणवत्ता / मात्रा की पात्रता की कोई गारंटी / वारंटी या प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा
- बोलीदाता सामग्री और उसके आस-पास का निरीक्षण कर सकते हैं और अपनी

निविदाएं प्रस्तुत करने से पहले खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप/लैपटॉप/प्रिंटर को बूट करने या खोलने की अनुमति नहीं होगी।

- c. बोलीदाता को साइट / सामग्री का पूरा ज्ञान माना जाएगा चाहे वह इसका निरीक्षण करता है या नहीं और गलतफहमी के परिणामस्वरूप या अन्यथा कोई अतिरिक्त शुल्क की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- d. इस कार्यालय के प्राधिकृत कर्मियों के साथ बोलीदाताओं अथवा उनके प्राधिकृत एजेंटों को उपर्युक्त अनुसूची के अनुसार स्थल का दौरा करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के दौरे आयोजित करने से पहले कम से कम एक दिन पहले पूर्व सूचना और प्राधिकरण का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- e. बोलीदाता या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि कार्यालय समय के दौरान 10:00 बजे से 17:00 बजे के बीच महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), कोलकाता, जीआईपी भवन (पूर्व विंग), 8, किरण शंकर राय रोड, कोलकाता, 700001 में वस्तुओं का निरीक्षण कर सके।

3. ई-कचरा बोली सुरक्षा/ईएमडी (बयाना धन जमा):

- a) बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संलग्न अनुबंध ए, बी, सी और डी भरें और इसे संगत सहायक दस्तावेजों और 5,000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) की देय बयाना राशि जमा (ऑफलाइन मोड में), वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हकदारी), महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), कोलकाता के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 5,000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए) और कोलकाता में देय, के साथ प्रस्तुत करें। वैध ईएमडी के बिना प्रस्तुत बोलियों को अस्वीकार किया जा सकता है।
- b) ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा, यदि बोलीदाता एकतरफा रूप से अपने प्रस्ताव की वैधता की अवधि के भीतर किसी भी संबंध में अपने प्रस्ताव को वापस लेता है, संशोधन करता है, बाधित करता है या कम करता है।
- c) सफल बोलीदाता को कार्य आदेश जारी होने के बाद सभी असफल बोलीदाता के ईएमडी वापस कर दिए जाएंगे।
- d) सफल बोलीदाता का ईएमडी उद्धृत एच-1 राशि जमा करने और इस कार्यालय की संतुष्टि के अधीन परिसर से मर्दों को हटाने के बाद जारी किया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि के भीतर उद्धृत राशि जमा करने में विफल रहता है, तो अवार्ड किए गए लॉट से संबंधित बिक्री विक्रेता/नीलामीकर्ता के विवेक पर रद्द की जा सकती है और एच-1 फर्म की ईएमडी पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी। विक्रेता/नीलामीकर्ता बोलीदाता द्वारा शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप किसी भी लागत और/या आकस्मिक/परिणामी हानि की वसूली के लिए भी हकदार होगा। निर्धारित समय-

- सीमा में बोली का भुगतान करने में असफल बोलीदाता (निविदाताओं) का ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। इस संबंध में विभाग द्वारा किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- e) बोली वैधता अवधि के भीतर या किसी भी परिस्थिति में ईएमडी राशि जारी नहीं करने के लिए इस कार्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।
- f) एनएसआईसी/एमएसई के पास पंजीकृत फर्मों को ईएमडी के भुगतान से छूट दी गई है। वैध प्रमाण पत्र की प्रति प्रदान की जानी चाहिए ।

4. बोली मूल्य:

- a. कीमतों को केवल भारतीय रुपये में उद्धृत किया जाना चाहिए।
- b. उद्धृत मूल्य एक निश्चित मूल्य/एकमुश्त आधार पर होगा और इसमें सभी लागू लागतें, प्रभार, कर और शुल्क शामिल होंगे। अन्य सभी शुल्क, शुल्क और अन्य आउटगोइंग, जो भी प्रत्येक विवरण का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। मूल्य परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. अनुबंध प्रदान करना:

- a. आरक्षित मूल्य पर उच्चतम शुद्ध बंडल मूल्य की पेशकश करने वाले बोलीदाता को निविदा दे दी जाएगी।
- b. यह कार्यालय उच्चतम अनुक्रियाशील बोलीदाता के पक्ष में स्वीकृति पत्र/बिक्री आदेश जारी करेगा
- c. अवार्ड पत्र पर अवार्ड प्राप्तकर्ता द्वारा ड्युप्लिकेट प्रति पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं स्टाम्प लगा होना अपेक्षित है।
- d. सफल बोलीदाता (एच1) 15(पंद्रह) दिनों (स्वीकृति पत्र/बिक्री आदेश की तारीख सहित) के भीतर कुल बिक्री/नीलामी मूल्य एक प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से या उसके हिस्से का भुगतान केवल दो सप्ताह तक सफल बोलीदाता (एच1) द्वारा किया जाएगा।
- e. सफल बोलीदाता से एच 1 बोली राशि प्राप्त होने के बाद, एच 1 बोलीदाता को डिलीवरी आदेश जारी किया जाएगा।

6. न्यूनतम आरक्षित मूल्य (MRP):

इस कार्यालय ने न्यूनतम आरक्षित मूल्य (एमआरपी) का मूल्यांकन 1,00,455/- रुपये (केवल एक लाख चार सौ पचपन रुपये) किया है। किसी भी परिस्थिति में उद्धृत एच-1 मूल्य एमआरपी से कम नहीं होना चाहिए और यदि ऐसा है, तो पूरी निविदा प्रक्रिया को रद्द माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार:

विक्रेता कारण बताने के बाद उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और विक्रेता द्वारा किसी एक या एक से अधिक बोलीदाता को किसी एक या सभी लॉट का अनुबंध आवंटित किया जा सकता है जैसा कि विक्रेता उचित समझे और इस संबंध में कोई दावा/शिकायत विक्रेता/नीलामीकर्ता द्वारा नहीं की जाएगी।

8. उप-अनुबंध:

निविदा अहस्तांतरणीय है। बोलीदाता/ओं द्वारा संविदा के अंतर्गत न तो संविदा और न ही प्रदान किए गए किसी अधिकार को पूर्ण या आंशिक रूप से बेचा, पट्टे पर दिया जा सकता है/सबलेट किया जा सकता है, सौंपा जा सकता है या अन्यथा हस्तांतरित किया जा सकता है और बिक्री, पट्टे, समनुदेशन या अन्यथा अंतरण का ऐसा कोई भी प्रयास शून्य और बिना किसी प्रभाव के होगा। बोलीदाता अपने कर्मियों के अलावा किसी अन्य को अनुबंध के तहत विक्रेता द्वारा अपेक्षित किसी भी कार्य, सेवा या अन्य प्रदर्शन को करने की अनुमति नहीं देगा।

9. सामान्य शर्तें:

- a. बहुत सारी प्रस्तावित वस्तुओं को "जैसा है जहां है" के आधार पर बेचा जाता है।ई-अवशिष्ट विभिन्न मेक, माडल ओर प्रकार का निपटान पूर्णतः इस समझ पर है कि बोलीदाता ने वस्तुओं का निरीक्षण किया है। इस संबंध में किसी शिकायत/दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- b. सामग्री के सफल बोलीदाता और इस कार्यालय के अधिकृत अधिकारी(अधिकारियों) की उपस्थिति में मौके पर ही गिना/तौला जाएगा ओर कार्यालय परिसर से बाहर ले जाने से पहले दोनों पक्षों द्वारा पुष्टि किया जाएगा।
- c. बेची गई सामग्री/वस्तुओं की डिलीवरी स्वीकृति पत्र/बिक्री आदेश (स्वीकृति पत्र/बिक्री आदेश जारी करने की तारीख को छोड़कर) से 20 (बीस) कैलेंडर दिनों (मुफ्त वितरण अवधि) के भीतर की जानी है। यदि क्रेता द्वारा मुफ्त

वितरण अवधि के भीतर सामग्री उठाने में सक्षम नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक्सटेंशन दिया जा सकता है लेकिन प्रतिदिन बिक्री मूल्य का आधा प्रतिशत जमीन का किराया लगाने के बाद।

- d. सामग्री/मर्दें, हर पहलू में, खरीदार के जोखिम पर उसके प्रस्ताव की स्वीकृति के समय से बनी रहेंगी। यह कार्यालय बिक्री की पुष्टि होने के बाद सुरक्षित कस्टडी, संरक्षण या संरक्षण के लिए कोई दायित्व नहीं लेगा। बोली स्वीकार किए जाने के बाद बेची गई सामग्रियों की गुणवत्ता या विवरण के बारे में कोई शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।
- e. बेची गई सामग्री लेकिन निर्दिष्ट तिथि के भीतर नहीं हटाई गई सामग्री इस कार्यालय की संपत्ति बन जाएगी और इस कार्यालय को किसी भी तरह से ऐसे माल का निपटान करने का अधिकार है जैसा कि यह कार्यालय बिना किसी सूचना के उचित समझता है।
- f. ई कचरा नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक सभी प्रपत्र/दस्तावेज बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।
- g. साइट से सामग्री हटाने के समय इस कार्यालय या परिसर में स्थित किसी अन्य कार्यालय की मौजूदा संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस कार्यालय या परिसर में किसी अन्य कार्यालय की संपत्ति को होने वाली हानि/क्षति या सफल बोलीदाता या उसके प्राधिकृत कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक की लापरवाही या कार्रवाई के कारण किसी भी व्यक्ति को हुई चोट या व्यक्तिगत दुर्घटना सफल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी और उन्हें क्षतिपूर्ति की जाएगी।

10. कार्य निष्पादन प्रक्रिया:

- a. पूर्ण भुगतान राशि की प्राप्ति की पुष्टि के बाद ही साइट से मर्दों को उठाने की अनुमति दी जाएगी। ठेकेदार द्वारा सामग्री का उठान किसी भी कार्य दिवस को 11:00 बजे से 15:00 बजे के बीच विनिर्दिष्ट किया गया है किया जाएगा।
- b. सफल बोलीदाता की ईएमडी सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उद्धृत राशि प्रस्तुत करने के बाद ही जारी की जाएगी। यदि सफल बोलीदाता निर्धारित तिथि के भीतर उद्धृत राशि जमा करने में विफल रहता है, तो एच 1 फर्म की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
- c. ठेकेदार को सामग्री उठाने की इच्छित तारीख से कम से कम एक कार्य दिवस पहले सूचित करना होगा।
- d. ठेकेदार को सामग्री उठाने के लिए अपना वाहन लाना होगा और सामग्री की पैकिंग और उठाने के लिए आवश्यकतानुसार अपने श्रम, बैग और अन्य वस्तुओं को नियोजित करना होगा। विभाग द्वारा इस संबंध में कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

- e. अप्रचलित सामग्री का उठान केवल कार्यालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारी की देखरेख में किया जाएगा।
- f. अप्रचलित सामग्रियों को उठाने की अनुमति केवल निर्धारित स्थानों से और आवश्यक सुरक्षा/गेट पास जारी करने के बाद ही दी जाएगी।
- g. ठेकेदार सामग्री भंडारण जगह को पूर्णतः साफ रखेगा।
- h. ठेकेदार सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन करेगा और इस कार्यालय को संविदा के अंतर्गत सामग्री निकालते समय कार्यालय परिसर के भीतर अपने श्रम/व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा अन्य व्यक्तियों को चोट लगने के कारण मुआवजे के लिए किसी दायित्व के विरुद्ध और किसी गलती या लापरवाही या जानबूझकर किए गए कार्यों के कारण इस कार्यालय के भवन/संरचना/संपत्ति को हुई किसी हानि या क्षति के लिए क्षतिपूत करेगा, चूक, या कोई अन्य कारण जो भी हो।

11.आदेश का निष्पादन:

- a. सफल बोलीदाता को एक बार निपटाए जाने के बाद किसी भी शर्त पर कोई भी मद वापस नहीं ली जाएगी।
- b. सफल बोलीदाता/पुनर्चक्रणकर्ता को अपने आधिकारिक लेटर हेड/पैड में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि वस्तुओं (ई-अपशिष्ट) को 45 दिनों के भीतर ऐसे उत्पादों/मदों पर लागू मौजूदा सरकारी नीतियों/प्रक्रियाओं के अनुसार पुनर्चक्रण/संसाधित किया गया है।

12. खतरनाक अपशिष्ट वस्तुओं की बिक्री केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित की जाएगी

- a) पुरानी बैटरियों / लेड एसिड बैटरियों की बिक्री बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2001 द्वारा नियंत्रित की जाएगी या समय-समय पर संशोधित की जाएगी।
- b) खतरनाक अपशिष्ट वस्तुओं की अन्य श्रेणियों की बिक्री खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांस बाउंडरी मूवमेंट) नियम, 2016 या समय-समय पर संशोधित द्वारा नियंत्रित की जाएगी।
- c) ई-कचरे की बिक्री ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 या समय-समय पर संशोधित द्वारा नियंत्रित की जाएगी।
- d) बोलीदाताओं को राज्य (या केंद्र शासित प्रदेश) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्रों की एक नोटरीकृत प्रति प्रस्तुत करनी होगी

और सामग्री की डिलीवरी लेने के समय इसे प्रस्तुत करना होगा, जिसमें विफल होने पर उनकी बोली अस्वीकृत हो जाएगी। सीसा एसिड बैटरियों, प्रयुक्त/अपशिष्ट तेलों और अलौह धातु अपशिष्टों के मामले में, एसपीसीबी से आवश्यक वैध पंजीकरण प्रस्तुत करने के अलावा, बोलीदाता को सीपीसीबी (अथवा एमओईएफ) से प्राप्त वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र की नोटरीकृत प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी; और माल की अंतर-राज्यीय आवाजाही वाली बिक्री के मामले में, क्रेता संबंधित एसपीसीबी से अनापति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेगा। जिसके साथ खरीदार पंजीकृत है, डिलीवरी लेने से पहले विक्रेता को, जिसमें विफल होने पर खरीदार परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा और विक्रेता आगे का निर्णय लेगा जैसा कि उचित समझा जा सकता है।

13. अतिरिक्त नियम और शर्तें

उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद/मतभेद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाएगा। विक्रेता (यह कार्यालय) और क्रेता (बोली लगाने वाली फर्म) पहले आपसी परामर्श द्वारा मतभेदों/विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करेंगे।

जे.एम.
04/8/25

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आईटी सेल

Annexure – ‘A’
Mandatory Information
(Technical Bid)

Sl. No.	Description	Information/declaration	
1.	Name of the Applicant/Firm		
2.	Nationality		
3.	Address (Enclose Electricity Bill/Landline Bill or any other authenticate copy of address proof)	Regd. Office Address	
		Head Office Address	
4.	Telephone numbers	Landline/ Mobile No.	
		E-mail ID	
5.	Other details (bidders must enclose copy of the relevant documents)	PAN Details	
		Registration No.	
		CPCB/SPCB Registration Details	
6.	Proof of being registered with Ministry of Environment and Forests (MOEF)/ Central Pollution Control Board (CPCB)/State Pollution Control Board (SPCB) or any other recognized authority as recyclers/re-processor /Collection center/dismantler of E-Waste (computer peripherals) etc.	Yes / No	
7.	Constitution of firm	Individual	
		Sole Proprietorship Concern	
		Partnership Firm	
		Public Ltd. Company	
		Private Ltd. Company/Public Sector Enterprises	
		Others	

8.	Proof of submission of EMD		Yes / No
9.	Earnest Money Deposit (EMD) details	Amount (in ₹)	
		DD No.	
		Date of issue	
		Name of issuing bank	
		Address of issuing bank	
10.	Declaration with respect to recycling/re-use/re- sale of computer peripherals including ink/toner cartridges etc. as per E-Waste (Management) Rules- 2022 or other stipulations by the GoI/concerned authority or as amended from time to time.		Yes / No
11.	Copies of Original Registration Certificates:		
	a. Incorporation Certificate/Registration of the Company or Firm	Yes / No	
	b. GST Registration Certificate	Yes / No	
	c. PAN Card Number/Income Tax Number	Yes / No	
12.	Self-attested bid document duly signed and affixing office seal in all pages including blankfinancial bid page		Yes / No
13.	Declaration of blacklisting/Non-blacklisting Certificate in Annexure "C"		Yes/No

(Signature of the Bidder with company seal)

Annexure - 'B'
Tender Acceptance Letter

(To be submitted on Company Letter Head)

To

The Dy. Director (Administration),
Office of The Director General of Audit (Central), Kolkata,
GIP Building (East Wing), 8, Kiran Sankar Roy Road, Kolkata - 700001

Sub: Tender for disposal of unserviceable/obsolete E-waste IT items.

Sir/Madam,

1. I/We have downloaded/obtained the tender document (s) for the above-mentioned Tender/work as per your advertisement.
2. I/We hereby certify that I/we have read the entire terms and conditions of the tender documents (including all documents like annexure(s), etc.) which form part of the contract agreement and I/we shall abide hereby by the terms/conditions/clauses contained therein.
3. I/ We hereby unconditionally accept the conditions of above-mentioned e-tender document(s) /corrigendum (s) in its totality/entirely.
4. I/We do hereby declare that our Firm has not been blacklisted/debarred by any Government Department/Public Sector Undertaking.
5. I/We certify that all information furnished by our Firm is true & correct and in the event that the information is found to be incorrect/untrue or found violated, then your department/organization shall without giving any notice or reason therefore or summarily reject the Bid or terminate the contract, without prejudice to any other rights or remedy including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.
6. I/We assure that I/We will NOT be outsourcing any work specified in the tender document, to any other firm.

Yours faithfully,

(Signature of the Bidder with company seal)

Annexure- 'C'
CERTIFICATE

DECLARATION REGARDING BLACKLISTING/NON-BLACKLISTING

I/We, Proprietor / Partner(s) / Director (s) of M/S -----
-hereby declare that the firm / company namely M/S -----
-has not been blacklisted or debarred in the past by any organization from taking part in
Government tenders.

Or

I/We proprietor / partner(s) / Director (s) of M/S -----
- hereby declare that the firm / company namely M/S -----
--was blacklisted or debarred by any Government Department from taking part in
Government tenders for a period of ----- years w.e.f. -----
. The period over on and now the firm / company is entitled to take part in Government
tender. In case the above information found false, I/We are fully aware that the tender /
contract will be rejected / cancelled by O/o the Director General of Audit (Central),
Kolkata and EMD shall be forfeited. In addition to the above, O/o the Director General of
Audit (Central), Kolkata will not be responsible to pay the bills for any completed /
partially completed work.

Name: -----

Capacity in which assigned: -----

Name & Address of the firm: -----

Date:

Signature of the Bidder with company seal.

Annexure – ‘D’

(Financial Bid)

(Rates shall include cost of transportation, taxes and other overheads)

Price Schedule				
This template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be submitted after filling the relevant column, else the bidder is liable to be rejected for the tender. Bidder are allowed to enter the value only in Indian currency.				
Sl. No.	Category of equipment	Offer rate per items (In ₹)	No. of items	Total Quoted rate incl. taxes (In ₹)
(A)	(B)	(C)	(D)	= (C) x (D)
1.	Laptops		14	
2.	CPUs		24	
3.	Monitors		24	
4.	Scanner		08	
5.	Printers		03	
6.	UPS		09	
7.	Empty Used Printer Cartridges		370	
Total value quoted (in figures INR)				
Quoted value (in words)				

Date :

Place:

**Signature of the Bidder/Authorized person
With Company Seal**